प्राप्त मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित निर्माण स्थल का स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया। सत्यापन के उपरान्त प्रस्तावित निर्माण स्थल पर निर्माण की अनुमति विशेष परिस्थितियों में निम्न शर्तों के अनुसार दिये जाने की संस्तुति की जाती है :–

1 – मानचित्र मानक के अनुसार बने है।
2 – प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
3 – आवेदक के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट–1945 की धारा–13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
4 – प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।
5 – प्रस्तावित स्थल बदायूँ–बिल्सी–बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग–51) के किमी0–80, चैनेज–79.100 के दायीं ओर स्थित है।
6 – प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर किया जाना प्रस्तावित नही है।
7 – रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 01 किमी0 की दूरी तक सर्विस बेरियर नहीं है।
8 – बफर स्ट्रिप 22.00 मी0 लम्बाई एवं 3.00 मी0 चौडाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौडाई 11.50 मी0 है।
9 – प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0–12–2009 के अनुसार किया जाये।
10– प्रस्तावित मार्ग की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 22.86 मी0, पम्प 36.86 मी0–44.86 मी0 एवं भवन निर्माण 53.36 मी0 की दूरी पर नक्शे मे प्रदर्शित है।
क – आवेदक को पैट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन(नाली) एवं दोनो ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0, की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षो के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र(एनेक्चर–3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है एग्रीमेन्ट की फीस समक्ष अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करायी जायेगी। प्रार्थी का लाजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।
ख – आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पैट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
ग – आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वंय के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बाहय इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा मे रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहियें एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।
घ – फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी0 नीचा रखा जायेगा।
11– प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 डाया ड्रयूम पाईप पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईट खन्ती में 1.00 मी0 चौडाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाईप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा मे सड़क पर न आने पाये।
12– प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0 -13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
13– बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।
14– प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्वाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 22.86 मी0 की दूरी के कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिये।
15– प्रस्तावित स्थल के 100 मी0 दोनों ओर कोई रोड क्रोसिंग नहीं होनी चाहियें।
16– यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
17– प्रस्तावित पैट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व प्रार्थी को इस कार्यालय **(अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि, सम्भल)** से लाईसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।
18– भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
19– लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0–33023–19/99–डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाईड लाईनों का अनुपालन करना होगा।
20– उक्त के अतिरिक्त शा0ए0–RW/NH/19-DO-II दिनांक 24.07.2013 के प्रस्तर–5 के अनुसार निर्माण से पूर्व मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुबलिक रू0 2,00,000.00 (रू0 दो लाख मात्र) एकमुश्त लाईसेन्स के रूप में एवं 5 प्रतिशत प्रोसेसिंग फीस के रूप में मुबलिक रू0 10,000.00 (दस हजार मात्र) जमा करने हेतु भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के डीलर के नाम से शपथ पत्र जमा कराना होगा।

SE AE

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
सम्भल

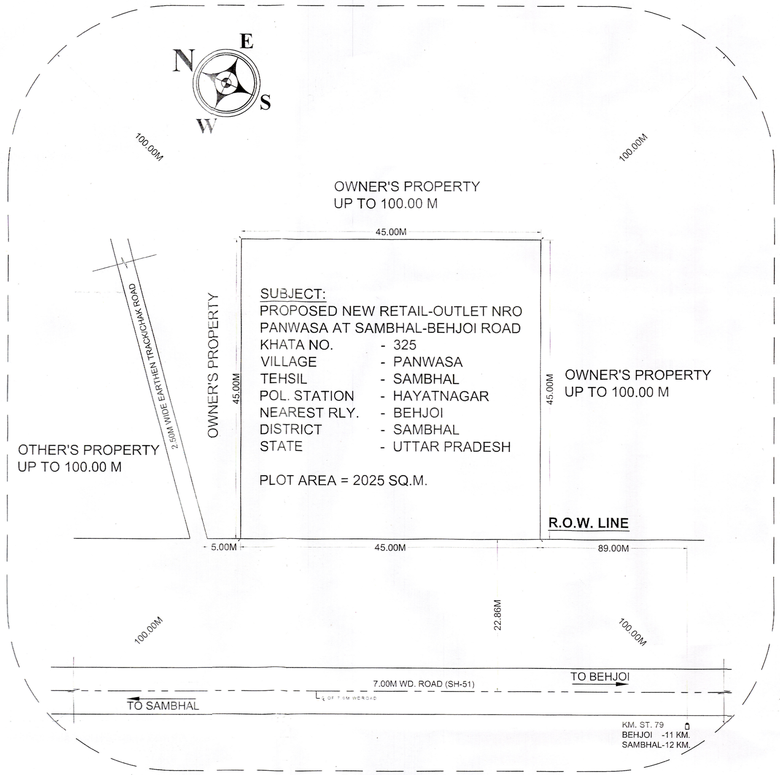

SITE PLAN
SCALE 1:400

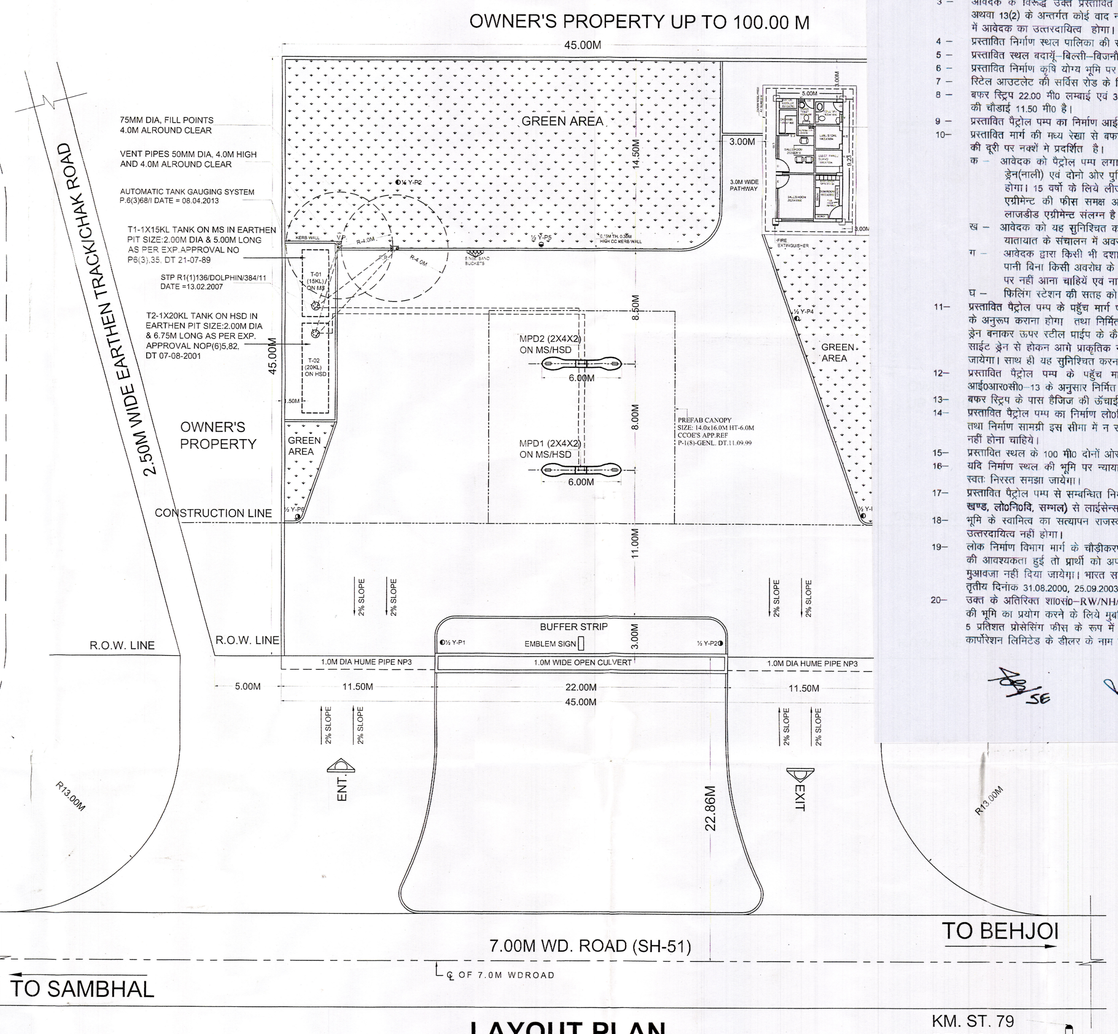

LAYOUT PLAN
SCALE 1:200

KM. ST. 79
BEHJOI -11 KM.
SAMBHAL-12 KM.

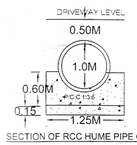

SECTION OF RCC HUME PIPE CULVERT

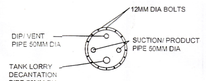

TOP VIEW OF TANK MANHOLE
(NOT TO SCALE)

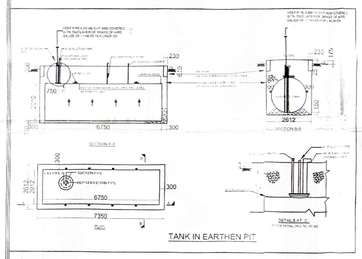

TANK IN EARTHEN PIT

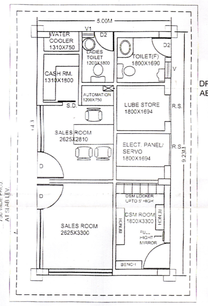

SALES BUILDING PLAN
SCALE 1:100

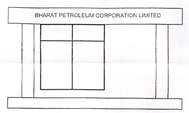

FRONT ELEVATION OF SALES BUILDING
(SCALE 1:100)

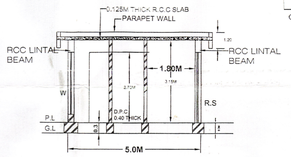

SECTION OF SALES BUILDING AT S-S
(SCALE 1:100)

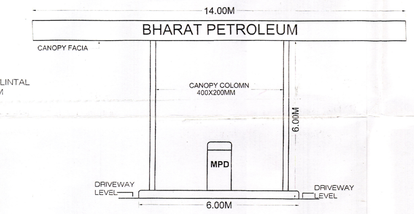

SECTION AT X.X

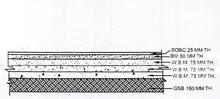

DETAIL SECTION OF APPROACH ROAD

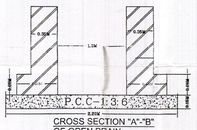

CROSS SECTION "A"-"B" OF OPEN DRAIN
(NOT TO SCALE)

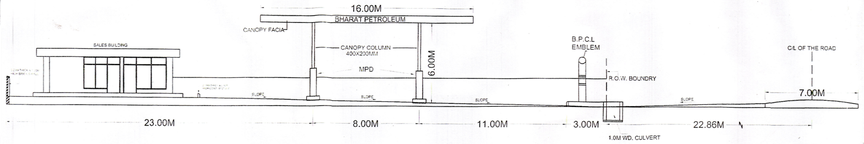

SECTIONAL ELEVATION OF FUEL STATION
SCALE 1:200

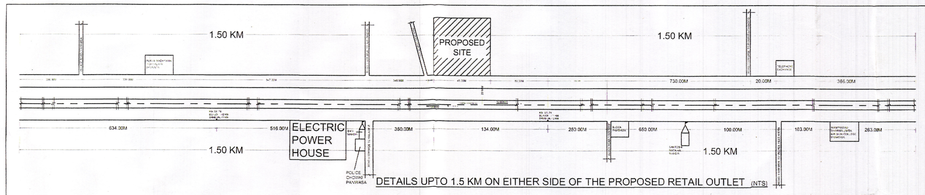

DETAILS UPTO 1.5 KM ON EITHER SIDE OF THE PROPOSED RETAIL OUTLET (NTS)

TANK TABLE:

S.NO.	PRODUCT	CAPACITY	LENTHG	DIA	REMARK
T-1	MS	15KL	5.00	2.00	IN EARTHEN PIT
T-2	HSD	20KL	6.75	2.00	IN EARTHEN PIT

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER & MILI-METERS UNLESS OTHERWISE NOTED.

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
ABU KA MAKBRA KESARGANJ MEERUT

SCALE : AS SHOWN
DATE :- DEC. 2017
NORTH

SUBJECT:- NRO FILLING STATION

SITE INFORMATION

SUBJECT:
PROPOSED NEW RETAIL-OUTLET NRO
PANWASA AT SAMBHAL-BEHJOI ROAD
GATA/ KHATA NO.- 325
VILLAGE - PANWASA
TEHSIL - SAMBHAL
POL. STATION - HAYATNAGAR
NEAREST RLY. - BEHJOI
DISTRICT - SAMBHAL
STATE - UTTAR PRADESH

PLOT AREA : 2025.00 SQM.

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आवू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

नागेन्द्र सैनी
प्रबन्धक (निर्माण)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आवू का मकबरा, केसर गंज, मेरठ

PREPARED BY
SR. MANAGER.(Construction)
B.P.C.L. MEERUT